**भारत सरकार**
**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 3192**

दिनांक 13 दिसम्बर 2024 को उत्तर के लिए

**राष्ट्रीय पोषण मिशन**

**3192. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरीः**
**श्री कौशलेन्द्र कुमारः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत बच्चों और महिलाओं में कुपोषण कम करने में हुई तुलनात्मक प्रगति का ब्यौरा क्या है;
(ख) पिछले तीन वर्षों में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में पोषण अभियान के तहत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या कितनी है;
(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान उक्त मिशन के लिए निधि आवंटन/उपयोग का बिहार सहित राज्यवार, वर्षवार ब्यौरा क्या है;
(घ) पोषण अभियान के तहत पोषण परिणामों में सुधार के लिए अपनाए गए नवीन दृष्टिकोण, यदि कोई हो, और दिए गए प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) योजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार में चयनित जिलों का ब्यौरा क्या है और उक्त योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**
**महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री**
**(श्रीमती सावित्री ठाकुर)**

**(क) से (ङ) :** 15वें वित्त आयोग के तहत, कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष की) के लिए योजना जैसे विभिन्न घटकों को व्यापक मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के अंतर्गत शामिल किया गया है।

यह एक केंद्र प्रायोजित मिशन है जिसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों की है। इसे बिहार राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

मिशन पोषण 2.0 के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- देश में मानव पूंजी के विकास में योगदान देना;
- कुपोषण की चुनौती का समाधान करना;
- स्थायी स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए पोषण जागरूकता तथा खान-पान की अच्छी आदतों को बढ़ावा देना

पोषण केवल खाना खाने से नहीं होता है; इसके लिए उचित पाचन, अवशोषण और चयापचय आवश्यक होते हैं जो स्वच्छता, शिक्षा और सुरक्षित पेयजल तक पहुंच जैसे कारकों से प्रभावित होते हैं। चूंकि कुपोषण के लिए भोजन, स्वास्थ्य, पानी, स्वच्छता और शिक्षा के आयामों को शामिल करते हुए एक बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण आवश्यक होता है, इसलिए कुपोषण के मुद्दे का प्रभावी ढंग से समाधान करना महत्वपूर्ण है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत 18 मंत्रालयों/विभागों के बीच क्रॉस कटिंग अभिसरण की मदद से कुपोषण की चुनौतियों का समाधान किया जा रहा है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1992-93 से संचालित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के विभिन्न चक्रों में भी पूरे भारत में बच्चों में कुपोषण संकेतकों में सुधार दिखाया गया है। एनएफएचएस-1 से एनएफएचएस-5 तक बच्चों के लिए इन संकेतकों का विवरण नीचे दिया गया है:

| **एनएफएचएस सर्वेक्षण** | **ठिगनापन %** | **अल्प वजन %** | **दुबलापन %** |
|---|---|---|---|
| एनएफएचएस-1 (1992-93)* | 52 | 53.4 | 17.5 |
| एनएफएचएस-2 (1998-99)** | 45.5 | 47 | 15.5 |
| एनएफएचएस-3 (2005-6)*** | 48.0 | 42.5 | 19.8 |
| एनएफएचएस-4 (2015-16)*** | 38.4 | 35.8 | 21.0 |
| एनएफएचएस-5 (2019-21)*** | 35.5 | 32.1 | 19.3 |

* 4 वर्ष से कम

** 3 वर्ष से कम

*** 5 वर्ष से कम

उपर्युक्त तालिका संबंधित समय के साथ 0-3 वर्ष, 0-4 वर्ष और 0-5 वर्ष आयु के सभी बच्चों में कुपोषण संकेतकों की तस्वीर प्रस्तुत करती है।

वर्ष 2021 के लिए भारत में 5 वर्ष तक के सभी बच्चों की अनुमानित जनसंख्या 13.75 करोड़ है (स्रोत: भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011-2036, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)। तथापि अक्टूबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार, 5 वर्ष तक के केवल 7.54 करोड़ बच्चे ही आंगनवाड़ियों में नामांकित हैं और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत हैं। इनमें से 7.31 करोड़ बच्चों की वृद्धि मापदंडों पर मापी गई। इनमें से 38.9% बच्चे ठिगने, 17% बच्चे अल्प वजन के और 5.2% बच्चे कमजोर पाए गए।

इसके अलावा, वर्ष 2021 के लिए भारत में 6 वर्ष तक के सभी बच्चों की अनुमानित जनसंख्या लगभग 16.1 करोड़ है (स्रोत: भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011-2036, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)। पोषण ट्रैकर के अक्टूबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार, 8.82 करोड़ बच्चे (0-6 वर्ष) आंगनवाड़ियों में नामांकित हैं, जिनमें से 8.55 करोड़ बच्चों की कद और वजन के विकास मापदंडों पर माप की गई। इनमें से 37% बच्चे (0-6 वर्ष) ठिगने पाए गए और 17% बच्चे (0-6 वर्ष) कम वजन के पाए गए।

उपरोक्त एनएफएचएस आंकड़ों और पोषण ट्रैकर डेटा के विश्लेषण से भारत भर में बच्चों में कुपोषण संकेतकों में सुधार दिखाई देता है।

इस मिशन के अंतर्गत सामुदायिक जुटाव और जागरूकता पक्ष समर्थन एक प्रमुख कार्यकलाप है जिसके माध्यम से लोगों को पोषण संबंधी पहलुओं के बारे में शिक्षित करने के लिए जन-आंदोलन चलाया जाता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर और मार्च-अप्रैल के माह में मनाए जाने वाले पोषण माह और पोषण पखवाड़े के दौरान सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों के तहत नियमित रूप से जागरूकता कार्यकलापों का आयोजन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। समुदाय आधारित कार्यक्रम (सीबीई) ने पोषण पद्धतियों को बदलने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में काम किया है और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रत्येक महीने समुदाय आधारित दो कार्यक्रम आयोजित करने होते हैं।

मिशन पोषण 2.0 सेवाओं का एक स्व-चयनित गुलदस्ता है जो आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में स्वेच्छा से नामांकन कराने वाले सभी पात्र लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (एनईजीडी) आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन के उपयोग के बारे में नियमित रूप से सीधे क्षेत्र स्तरीय प्रशिक्षण/कार्यशालाएं आयोजित करता है। देश भर के विभिन्न जिलों में वर्चुअल और भौतिक रूप से कई दौर के प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिशन पोषण 2.0 के तहत 2023 में शुरू किया गया पोषण भी पढ़ाई भी (पीबीपीबी) एक अग्रणी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) कार्यक्रम है जो यह सुनिश्चित करता है कि भारत में अच्छी तरह प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों वाला एक उच्च गुणवत्ता वाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप प्री-स्कूल नेटवर्क है।

पीबीपीबी खेल-आधारित, आनंदमय कम लागत वाली शिक्षण अधिगम सामग्री (टीएलएम), डू-इट-योरसेल्फ (डीआईवाई) किट, गतिविधि-आधारित अधिगम शिक्षाविज्ञान की हिमायत करता है जो विशेष रूप से 0-3 वर्ष के बच्चों के साथ-साथ 3-6 साल के बच्चों की विकासात्मक उपलब्धि पर लक्षित है। यह सरल शिक्षण-अधिगम सामग्री और स्थानीय रूप से प्राप्त और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य स्वदेशी खिलौनों का उपयोग करने की भी हिमायत करता है।

कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए पूरे देश में दो स्तरीय प्रशिक्षण कार्यान्वयन मॉडल अपनाया जा रहा है। टियर 1 में राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों (एसएलएमटी) को राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) द्वारा दो दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। टियर 2 में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) को तीन दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 2 दिसंबर 2024 तक 35 राज्यों के 719 जिलों में पीबीपीबी कार्यक्रमों के तहत 21722 एसएलएमटी को प्रशिक्षित किया जा चुका है और 20 राज्यों के 182 जिलों में 42,308 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। मंत्रालय ने इस प्रशिक्षण के लिए वित्त वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए 476.06 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की है।

पोषण ट्रैकर में स्वयं/लाभार्थी पंजीकरण मॉड्यूल पेश किया गया है जिसमें लाभार्थी आंगनवाड़ी केंद्र का चयन करके स्वयं पंजीकरण करा सकते हैं।

पिछले दो वर्षों में मिशन पोषण 2.0 के तहत लाभार्थियों का आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

बिहार राज्य सहित सभी राज्यों को जारी और उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

**अनुलग्नक-I**

"राष्ट्रीय पोषण मिशन" के संबंध में डॉ. डी. पुरंदेश्वरी एवं श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा दिनांक 13.12.2024 को पूछे गए लोक सभा प्रश्न संख्या 3192 के भाग (ख) के उत्तर से संबंधित अनुलग्नक

पिछले दो वर्षों में मिशन पोषण 2.0 के तहत लाभार्थियों का राज्य-वार विवरण

| राज्य | अक्टूबर 23 | अक्टूबर 24 |
|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 23,93,173 | 31,64,138 |
| अरुणाचल प्रदेश | 96,007 | 1,02,582 |
| असम | 34,52,946 | 34,36,718 |
| बिहार | 1,08,11,518 | 1,05,82,926 |
| छत्तीसगढ | 28,03,880 | 26,42,697 |
| गोवा | 67,619 | 57,194 |
| गुजरात | 38,29,853 | 35,37,211 |
| हरियाणा | 19,95,931 | 19,41,761 |
| हिमाचल प्रदेश | 5,83,243 | 5,72,226 |
| झारखंड | 36,91,447 | 33,59,175 |
| कर्नाटक | 38,47,945 | 43,63,784 |
| केरल | 23,02,383 | 21,03,592 |
| मध्य प्रदेश | 77,34,305 | 74,71,827 |
| महाराष्ट्र | 74,20,828 | 66,75,390 |
| मणिपुर | 3,24,705 | 3,35,649 |
| मेघालय | 4,94,260 | 4,13,696 |
| मिजोरम | 1,45,084 | 1,34,852 |
| नागालैंड | 1,43,301 | 1,32,786 |
| ओडिशा | 43,49,112 | 41,92,206 |
| पंजाब | 13,95,990 | 16,50,192 |
| राजस्थान | 46,21,620 | 42,93,191 |
| सिक्किम | 44,582 | 40,669 |
| तमिलनाडु | 40,72,944 | 41,21,385 |
| तेलंगाना | 22,58,275 | 19,33,712 |
| त्रिपुरा | 3,80,651 | 3,53,875 |
| उत्तर प्रदेश | 2,23,47,863 | 2,24,37,647 |
| उत्तराखंड | 8,61,640 | 8,37,925 |
| पश्चिम बंगाल | 88,27,032 | 86,26,799 |
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 12,517 | 11,835 |
| दादरा और नगर हवेली - दमन और दीव | 33,216 | 38,211 |

| | | |
|---|---|---|
| दिल्ली | 6,85,615 | 6,73,386 |
| जम्मू एवं कश्मीर | 8,25,218 | 8,40,554 |
| लद्दाख | 18,500 | 18,290 |
| लक्षद्वीप | 4,742 | 4,598 |
| पुदुच्चेरी | 35,367 | 35,843 |
| संघ राज्य क्षेत्र -चंडीगढ़ | 46,690 | 42,909 |

**अनुलग्नक-II**

"राष्ट्रीय पोषण मिशन" के संबंध में डॉ. डी. पुरंदेश्वरी एवं श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा दिनांक 13.12.2024 को पूछे गए लोक सभा प्रश्न संख्या 3192 के भाग (ग) के उत्तर से संबंधित अनुलग्नक

मिशन पोषण 2.0 योजना के तहत उपलब्ध कराई और उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण इस प्रकार है:

| क्र. सं. | राज्य का नाम | राशि करोड़ रुपये में | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021-22 | | 2022-23 | | 2023-24 | |
| | | जारी की गई निधि | उपयोग की गई निधि | जारी की गई निधि | उपयोग की गई निधि | जारी की गई निधि | उपयोग की गई निधि |
| 1 | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 19.71 | 13.36 | 3.85 | 3.88 | 12.15 | उपयोग प्रमाणपत्र अभी देय नहीं |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 744.60 | 749.91 | 827.79 | 721.45 | 705.68 | |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 170.83 | 230.77 | 137.78 | 145.74 | 162.06 | |
| 4 | असम | 1319.90 | 1432.19 | 1651.63 | 1717.00 | 2233.31 | |
| 5 | बिहार | 1574.43 | 1608.02 | 1740.09 | 1586.61 | 1859.29 | |
| 6 | चंडीगढ़ | 15.32 | 23.09 | 33.10 | 34.33 | 19.79 | |
| 7 | छत्तीसगढ | 606.73 | 522.72 | 668.96 | 571.80 | 579.46 | |
| 8 | दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 9.33 | 9.56 | 5.80 | 5.80 | 11.97 | |
| 9 | दिल्ली | 133.11 | 125.52 | 182.77 | 142.84 | 161.81 | |
| 10 | गोवा | 10.84 | 12.92 | 14.71 | 16.83 | 13.95 | |
| 11 | गुजरात | 839.86 | 757.92 | 912.64 | 552.30 | 1126.80 | |
| 12 | हरियाणा | 173.03 | 146.99 | 195.25 | 150.24 | 225.78 | |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 247.99 | 386.68 | 270.24 | 247.76 | 301.09 | |
| 14 | जम्मू एवं कश्मीर | 405.74 | 704.57 | 479.01 | 416.23 | 530.88 | |
| 15 | झारखंड | 352.98 | 183.30 | 430.91 | 596.03 | 664.30 | |
| 16 | कर्नाटक | 1003.70 | 984.62 | 765.87 | 885.65 | 912.96 | |
| 17 | केरल | 388.23 | 397.98 | 444.98 | 325.43 | 306.64 | |
| 18 | लद्दाख | 14.70 | 14.67 | 18.79 | 18.79 | 19.62 | |
| 19 | लक्षद्वीप | 2.11 | 2.73 | 0.44 | 0.44 | 2.88 | |
| 20 | मध्य प्रदेश | 1085.47 | 1055.83 | 1011.57 | 1038.67 | 1123.11 | |
| 21 | महाराष्ट्र | 1713.39 | 1609.02 | 1646.17 | 1589.97 | 1699.52 | |
| 22 | मणिपुर | 228.92 | 177.28 | 135.95 | 167.74 | 201.28 | |
| 23 | मेघालय | 173.33 | 177.86 | 192.39 | 200.24 | 269.69 | |
| 24 | मिजोरम | 59.32 | 61.57 | 42.81 | 53.02 | 100.27 | |

| क्र. सं. | राज्य का नाम | राशि करोड़ रुपये में | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021-22 | | 2022-23 | | 2023-24 | |
| | | जारी की गई निधि | उपयोग की गई निधि | जारी की गई निधि | उपयोग की गई निधि | जारी की गई निधि | उपयोग की गई निधि |
| 25 | नागालैंड | 159.80 | 160.21 | 199.30 | 190.47 | 262.91 | |
| 26 | ओडिशा | 1065.98 | 871.20 | 923.92 | 884.96 | 968.80 | |
| 27 | पुदुचेरी | 2.78 | 6.13 | 0.12 | 6.68 | 4.48 | |
| 28 | पंजाब | 383.52 | 177.94 | 75.31 | 247.25 | 307.87 | |
| 29 | राजस्थान | 682.65 | 771.64 | 974.02 | 936.17 | 1091.96 | |
| 30 | सिक्किम | 25.73 | 24.59 | 20.33 | 24.09 | 33.49 | |
| 31 | तमिलनाडु | 655.38 | 681.28 | 766.81 | 741.30 | 880.79 | |
| 32 | तेलंगाना | 482.33 | 479.30 | 550.69 | 503.33 | 507.87 | |
| 33 | त्रिपुरा | 186.72 | 171.66 | 150.52 | 186.55 | 244.22 | |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 2407.55 | 2341.91 | 2721.87 | 2622.64 | 2668.69 | |
| 35 | उत्तराखंड | 353.65 | 336.03 | 425.84 | 364.77 | 288.24 | |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 668.35 | 1378.31 | 1227.59 | 1455.89 | 1237.56 | |

*****